

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com. FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1687

दिनांक: 11.02.2026

आदेश

सां. आ. 158/2026 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम, 75-क के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के व्ययन के संबंध में यह निर्देश जारी करता है कि आयोग द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुये और अधोलिखित पैरा-4 में समाविष्ट अनुदेशों के अधीन रहते हुये निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को निम्नलिखित रीति से निपटाया जा सकेगा :-

(1) नियम 75 क (क) के अधीन निर्देश :-

(क) मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारियों द्वारा लौटाये गये और नियम-75 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रतिपण सहित अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकेटों को जो दो तालों (Double Lock) वाले स्टील ट्रकों में 6 मास की कालावधि के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पास प्रतिधृत (Retain) रखे हुए हैं, निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् कोषागार में रखा जायेगा और तत्पश्चात् नष्ट कर दिया जायेगा।

(ख) रिटर्निंग अधिकारी के पास डाक मतपत्रों को जारी करने के पश्चात् बचे हुए अवितरित प्रतिवर्ण सहित डाक मतपत्रों का स्टॉक तथा मतदान केन्द्रों पर उपयोग करने के लिए पीठासीन अधिकारियों को जारी करने के बाद बचे हुए प्रतिपण सहित अवितरित निविदत्त मतपत्रों का स्टॉक, मतदान के तुरन्त बाद जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी को वापिस कर दिया जायेगा और जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार के मतपत्रों के पैकेटों को 6 मास तक रखेगा तत्पश्चात् उसके पर्यवेक्षण के अधीन ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से उन्हें नष्ट किया जा सकेगा।

(2) नियम 75 क (ख) के अधीन निर्देश :-

(क) मतों की गणना के पश्चात् नियम 74-क के उप नियम (2) के अधीन रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रखी गई मतदान मशीन की यूनितें ऐसी कालावधि के लिए जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 36 की उपधारा (1) में किसी निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करने के लिए बतायी गयी है, के अवसान तक अर्थात् निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिन तक अभिकल्पित रूप से अधिकृत (Retain) रखी जायेगी, तत्पश्चात् मतदान मशीनों की मुद्रा हटाकर और इन्हें खोलकर नियंत्रण यूनिट में अंतर्विष्ट सूचना इटा दी जायेगी तथा मतदान यूनिट में प्रदर्शित मतपत्र को हटा दिया जायेगा।

(ख) मतदान मशीनों के संबंध में उक्त पैरा (क) में वर्णित कार्यवाही के पश्चात् इन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को वापस कर दिया जायेगा।

(ग) नियम 74क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट से भिन्न अन्य पैकेट एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिधृत रखे जायेंगे और तत्पश्चात् नष्ट कर दिये जायेंगे।

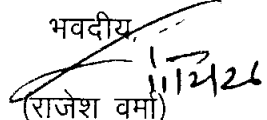
इस प्रकार मतदान मशीन की दोनों ही प्रकार की यूनितें (नियंत्रण यूनिट व मतदान यूनिट) रिटर्निंग अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 36 की उप धारा (1) में किसी निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करने के लिए बतायी गयी कालावधि के अवसान तक अभिकल्पित रूप से सुरक्षित रखी जायेगी।

(3) नियम 75 क (घ) के अधीन निर्देश :-

- (क) अनुलग्नक में निर्दिष्ट कागज पत्रों को परिणाम की घोषणा होने की तारीख से 6 मास व्यतीत हो जाने पर नष्ट कर दिया जायेगा।
- (ख) आक्षेपित मतों की सूची (प्ररूप-13) और आक्षेप फीस की वसूली के लिए उपयोग में ली गई रसीद बुक, मतदाताओं को डाक मतपत्रों के प्रेषण रजिस्टर और नाम निर्देशन पत्रों के प्ररूपों को परिणाम का घोषणा होने की दिनांक से पांच वर्ष व्यतीत होने से पूर्व नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।
- (ग) किसी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रत्येक आदेश उस निर्वाचन की समाप्ति से जिससे नियुक्ति संबंधित हो, तीन वर्ष बीतने के पहले नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।
- (घ) अंतिम प्रमाण-पत्र और निर्वाचन की घोषणा प्ररूप-22 या यथास्थिति प्ररूप 22-क को निर्वाचन के स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जाना चाहिए।
- (ङ) निक्षेपों से संबंधित रजिस्ट्रों को राजस्व रजिस्ट्रों को नष्ट किए जाने की रीति के अनुसार ही नष्ट किया जाये, किन्तु किसी भी दशा में इन रजिस्ट्रों को 10 वर्ष से पहले नष्ट नहीं किया जायेगा।
- (4) याचिका के अनिर्णित रहने तक कागज-पत्रों को रोके रखना :-
- (क) जहां कहीं कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिए लम्बित पड़ी है, या निर्वाचन संबंधी कोई अन्य मामला न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के लिए लम्बित पड़ा हो, तो उनसे संबंधित कागजात जैसा कि उपरोक्त पैरा (1) तथा (3) में बताये गये हैं, ऐसी याचिका या मामलों के अंतिम निपटान की तारीख से 3 महीनों तक नष्ट नहीं किये जायेंगे।
- (ख) जहां कहीं कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिए लम्बित पड़ी है तो ऐसी याचिका के अंतिम निपटान की तारीख 3 महीनों तक उनसे संबंधित नियंत्रण यूनिटें (यूनिटों) को न तो खोला जायेगा और न ही उनमें अन्तर्विष्ट सूचना को हटाया जायेगा।
- (5) निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निस्तारण की रीति :-
- मतदान मशीनों की नियंत्रण यूनिटों के सिवाय सभी निर्बन्धित या गोपनीय निर्वाचन कागजातों जैसे प्रयुक्त मतपत्र और उनके प्रतिपर्ण, प्रयुक्त डाक मतपत्र और उनके प्रतिपर्ण, निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणायें व उनके अनुप्रमाणन और निर्वाचक नामावलियों की चिह्नित प्रतियों के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये जाएं और उसके पश्चात् उसकी लुग्दी बना दी जाए जिसे कागज आदि दुबारा बनने के प्रयोग किए जा सकें। निर्बन्धित श्रेणी के कागजातों के मामलों में इस तरह के टुकड़े राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में किये जावें तथा संबंधित अधिकारी द्वारा एक प्रमाण-पत्र भी रिकार्ड किया जावे।

इस संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक 3150 दिनांक 06.11.1999 को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्न : एक

भवदीय,

 (राजेश वर्मा)
 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
 एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1601-1606
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 11.02.2026

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।

2. निजी सहायक, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन में हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करवाने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. लेखा/ स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।


(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

अनुलग्नक

परिणाम की घोषणा के 1 वर्ष पश्चात् नष्ट कर दिये जान वाले कागज-पत्रों की सूची

क्र.सं.	कागज-पत्रों का विवरण	
1.	निर्वाचन का लोक नोटिस।	प्ररूप-2
2.	नियम-15 के अधीन विधिमान्यतः अभ्यर्थियों की सूची।	प्ररूप-4
3.	अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना।	प्ररूप-5
4.	निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची।	प्ररूप-6
5.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति।	प्ररूप-7
6.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप-8
7.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति।	प्ररूप-9
8.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप-10
9.	अधे और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची।	प्ररूप-12
10.	निविदत्त मतों की सूची।	प्ररूप-14
11.	किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रतियाँ।	नियम-30(3)
12.	मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने पर रद्द किये गये मतपत्रों एवं खराब हुये और लौटाये गये मतपत्रों के पैकेट	नियम-37(6) और 45(2)
13.	पीठासीन अधिकारी द्वारा रखी गई टिप्पणियाँ और अभिलेख, मतदान अभिकर्ताओं द्वारा की गई घोषणाएँ और कोई अन्य कागज जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी ने माहरबन्द पैकेट में रखने का निर्देश दिया हो।	
14.	निवारक निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों के नामों की सूची।	
15.	निवारक निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों से डाक-मतपत्र द्वारा मतदान करने की अनुमति के लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन पत्र।	
16.	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन एवं निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण-पत्र।	प्ररूप-15 प्ररूप-16
17.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति एवं कार्यालय प्रतियाँ।	प्ररूप-19
18.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप-20
19.	मतों की पुनर्गणना के लिए आवेदन पत्र।	नियम-67
20.	प्रतिपत्र सहित अप्रयुक्त मतपत्र	
21.	मतों की गणना के समय, स्थान एवं दिनांक आदि की सूचना।	
22.	रिटर्निंग अधिकारी और उम्मीदवारों व निर्वाचन या गणन अभिकर्ताओं के बीच पत्र व्यवहार।	
23.	प्रतीकों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र।	
24.	क्षतिग्रस्त पत्र मुद्रायें और अप्रयुक्त मुद्रायें जो पीठासीन अधिकारियों से वापस प्राप्त हुयी हैं।	
25.	पीठासीन अधिकारी से प्राप्त सामान्य रिपोर्ट, डायरियां व ज्ञापन, नोट बुकें आदि।	
26.	नियम 30 के उप नियम (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन नोटिस।	
27.	ऐसे पैकेट जिनमें मतदान और मतों की गणना के दौरान उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं द्वारा आक्षेप रखे हैं।	
28.	मतों की गणना के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की गई कार्यवाहियों के मोहर बन्द पैकेट।	
29.	मतों की गणना के लिये चैक मीमों के माहर बन्द पैकेट।	
30.	मतपत्र लेखा।	प्ररूप-17
31.	निर्वाचन ड्यूटी स्टॉफ मतपत्र लेखा।	प्ररूप-18
32.	प्रयुक्त पेपर सील का अभिलेख।	
33.	प्रचार सामग्री जैसे दीवार पर लगाने के पोस्टर, हैंड-बिल और निर्वाचन के समय उम्मीदवारों द्वारा जारी किये गये खुले बयान।	
34.	निर्वाचक द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन पैकेट।	नियम-38(1)